XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1050–एक/14 जिला – रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.5.15	यह निगरानी तहसीलदार, पिपलोदा जिला रतलाम के द्वारा प्र0क0 41/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा दिनांक 14–1–13 को संहिता की धारा 107 सहपठित धारा 116 के तहत कलेक्टर, रतलाम के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सर्वे नंबर 416 एवं 417 की नक्शा आकृति 57–58 के दर्ज रकबे के अनुसार दुरस्त किए जाने का अनुरोध किया । इस आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार, पिपलोदा को इस निर्देश के साथ प्रकरण भेजा कि वे अनावेदकों सहित प्रभावित अन्य पड़ौसी कृषकों की सुनवाई कर मौका निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेख को दृष्टिगत रखते हुए अपना प्रतिवेदन मय अभिमत के साथ अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के माध्यम से भेजें । प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार ने प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई, जो तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । तहसीलदार के समक्ष आवेदिका की ओर से तहसीलदार द्वारा किए गए सीमांकन आदेश की प्रति पेश की, जिस पर आवेदकों ने आपत्ति की । तहसीलदार ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जबाव हेतु 15 दिवस का समय दिया एवं राजस्व निरीक्षक से रिर्पोट बुलाए जाने के आदेश दिए । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह दिया गया है कि तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । अनावेदकों ने अपने आवेदन में वर्ष 57–58 में बंदोवस्त के दौरान नक्शे में हुई त्रुटि का उल्लेख किया गया है जबकि संहिता की धारा 116 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर एक वर्ष की अवधि में कार्यवाही की जाना चाहिए ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

यह तर्क दिया गया कि आवेदिका द्वारा कराए गए सीमांकन में आवेदिका की भूमि अनावेदिका के अवैध कब्जे में पाई गई थी उक्त भूमि के कब्जा वापिस हेतु आवेदिका द्वारा विधिवत संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही न्यायालय में पेश की गई जिसका प्रकरण कमांक 8/ए–70/11–12 है । उक्त भूमि का कब्जा आवेदिका अनावेदकों से प्राप्त नहीं कर सके इस कारण अनावेदकों ने असत्य कार्यवाही प्रचलित की है ।

यह भी कहा गया कि उक्त आवेदन अनावेदकों ने 56 वर्ष उपरांत पेश किया है 56 वर्ष के विलंब के संबंध में कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया और ना ही वर्ष 1957–58 के पूर्व का कोई नक्शा ट्रेस अनावेदकों द्वारा पेश किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि नक्शे में त्रुटि हुई है । वर्ष 1956–57 में अनावेदकगण भूमिस्वामी भी नहीं थे उन्होंने भूमि वर्ष 1997 में क्रय की है अनावेदकों द्वारा 56 वर्ष के विलंब के उपरांत आवेदन पेश किया गया है जिसके संबंध में कोई आवेदन पेश नहीं किया गया । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है । यदि आवेदिका को कोई आपत्ति है तो वह कलेक्टर के समक्ष रख सकती है ।

5/ अनावेदक क. 3 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदकों द्वारा वर्ष 1997 में भूमि क्रय की गई है और उनके द्वारा वर्ष 1956–57 में हुये बंदोवस्त की त्रुटि को सुधारे जाने की मांग की गई, जबकि वे उस समय भूमिस्वामी ही नहीं थे । अनावेदकों द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन 56 वर्ष उपरांत दिया गया है जबकि संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन एक वर्ष की अवधि में ही किया जा सकता । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1957–58 के पूर्व का कोई रिकार्ड त्रुटि के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया है । और ना ही व्यतीत हुई 58 वर्ष की अवधि के संबंध में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिंदुओं की जांच न कर प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार को

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1050–एक / 14 जिला – रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

जांच हेतु प्रेषित किया है वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा नक्शे में त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष, आवेदिका द्वारा सीमांकन कराए जाने के उपरांत अनावेदकों के विरूद्ध संहिता की धारा 250 का प्रकरण पेश किए जाने के उपरांत पेश किया गया है, जिससे आवेदिका के इस तर्क को बल मिलता है कि अनावेदक स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा बंदोवस्त के दौरान नक्शे में त्रुटि हुई है, इस संबंध में कोई प्रमाण अपने आवेदन के साथ पेश नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 32 संहिता सहपठित आदेश 7 नियम 17 सी.पी.सी. को निरस्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अनावेदकों से वर्ष 1957–58 के पूर्व का रिकार्ड जिसमें बंदोवस्त में त्रुटि होना बताया गया है, प्राप्त करें तथा व्यतीत हुई अवधि के संबंध में अपना समाधान करते हुए प्रकरण की ग्राह्यता के संबंध में विचार कर प्रकरण का न्यायिक निराकरण करें ।

उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

सदस्य

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 1050-I/14

श्री .... द्वारा आज दि 29-3-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-3-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. दर्याबाई पत्नी श्री घनश्याम कुलम्बी आयु 40 वर्ष, निवासी– ग्राम रांकोदा तहसील पिपलोदा जिला रतलाम (म.प्र.) .... (आवेदिका)

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र श्री भागीरथ कुलम्बी आयु 30 वर्ष
2. संतोष कुमार पुत्र श्री भागीरथ कुलम्बी आयु 28 वर्ष निवासीगण– बडायला माताजी कृषक ग्राम रांकोदी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन

..............अनावेदकगण

29/3/14
L.G. Dhakad

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय पिपलोदा जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 41/अ/74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.14 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर महोदय बंदोवस्त जिला रतलाम के सक्षम एव आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम रांकोदा तहसील पिपलोद की भूमि सर्वे क्रमांक 416, 417 जिसका मिसल बंदोवस्त 1957–58 के अनुसा दर्ज रकवा क्रमांक 33 वीघा 17 विस्वा, 16 वीघा 11 विस्वा अर्थात् 7.076 हैक्टैय व 3.459 हैक्टेयर दर्ज है। जिसका नक्शा 1957–58 बंदोवस्त के दौरान छोटा क देना बताया गया है। जिस हेतु अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर महोदय के सम आवेदक पत्र प्रस्तुत किया। उपरोक्त आवेदन पत्र पर कलेक्टर द्वारा तहसीलद पिपलोदा को जांच हेतु भेजा गया। तहसील पिपलोदा द्वारा प्रकरण क्रमांक पंजीबृ किया जाकर कार्यवाही शुरू की गई कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा (आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र.भु.रा.स व आदेश 7 नियम 11 सह पठित ध